भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2507

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद संबंधी मामले

2507 श्री इरण्ण कडाडि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित अधिकतम मामले भूमि विवाद से जुड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न मामलों का अभिलेख राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर रखा जाता है। तथापि, एन जे डी जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की कोई अलग से श्रेणी नहीं रखता है । इसके अतिरिक्त, भूमि और इसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और भारत के संविधान की सांतवी अनुसूची के अधीन राज्य सूची की सूची–2 में सम्मिलित है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी के अनुसार 28.02.2022 तक कर्नाटक राज्य में जिला न्यायपालिका में भूमि विवाद के मामलों की कुल संख्या 376622 है।

तथापि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, भू-संसाधन विभाग "डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम "को कार्यान्वित कर रहा है जो

अन्य बातों के साथ, अधिकार, भू-कर मानचित्र, के अभिलेखों का अंकीकरण रजिस्ट्रीकरण के कंप्यूटरीकरण और राजस्व कार्यालयों के साथ रजिस्ट्रीकरण के एकीकरण का उपबंध करता है अंततः जो कुछ हद तक भूमि विवादों को कम कर रहे है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से भू-अभिलेखों को ई-न्यायालय परियोजना से जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। भू-संसाधन विभाग ने ई-न्यायालय परियोजना के मामला सूची प्रणाली (सी आई एस) के साथ भू-अभिलेखों की जानकारी को एकीकृत करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में पायलट आधार पर एक परियोजना भी आरंभ की है।

****